

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंजियरिंग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में विशेष कार्यालय में बैठक सत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्य से संघनित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/साठ्यक्रम/परीक्षा समता वृद्धि सहित अन्य सर्वोत्तम विचार कर्तव्य हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अन्तर्गत में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में डिप्लोमा इन कार्मैसी साठ्यक्रम संघनित करने वाली पूर्य से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। समबद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"पिछी दौर में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मैसी साठ्यक्रम संघनित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से पूर्य से सम्बद्ध हैं, एच सत्र 2020-21 हेतु पीपीआईई द्वारा उन्हें साठ्यक्रम अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीपीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार तनकी नाम के सम्मुख अंकित साठ्यक्रम/परीक्षा समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीपीआईई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-8-2020 को आवेदित सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये आरीयत विषय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत साठ्यक्रम एवं परीक्षा अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	साठ्यक्रम का नाम	पीपीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित परीक्षा समता	पीपीआईई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित परीक्षा समता
1	4112	बाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्मैसी, सीएच, जगतगंज स्टेशन रो, फाउण्डेशन	डिप्लोमा इन कार्मैसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईआई/पीपीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 अन्तर्गत विनियमवली-2016 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तोग चर्चित इजी० साठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष को शर्तित करके प्रदत्त करने हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र के अन्तर्गत साठ्यक्रमों (80 परीक्षा परीक्षा साठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रदत्त करने/आवेदों में प्रकृत किया जायगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सत्र/साठ्यक्रमों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशादेश प्रभावों द्वारा, नये/वर्द्धमान साठ्यक्रमों के लिए

जाता आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि अत्र 2020-21 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (100%) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को समर्थन दिया जाता है। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में नवजात प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के निम्न रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की आवश्यकता की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 2020-21 सी.टी.ई.ओ./पी.टी.टी.ई.ओ. से जातनी राशि हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभिव्यक्तियों/शासनादेशों, केंद्रों एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बनाये गये विधियों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ विद्यालय इन-कामेसी कार्यक्रम की संस्थाएं यदि मो.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस समय में समस्त उत्तरप्रदेशीय संस्था का हीमा ओट. विधिक रूप से केंद्रों से जातनी राशि के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को 2000 एवं शासन विभाग आता है तथा उत्तर प्राय की संस्था में सा. ल्या.उत्तर द्वारा केंद्रों प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो सामान्य प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ विद्यालय इन-कामेसी कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए जातनी राशि हेतु अनारिस्टिग प्रदान होने के पूर्व पी.टी.टी.ई.ओ. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (अनारिस्टिग की माध्यम से अपना संस्था स्तर पर वीस प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नवीनतम शासनादेशों निम्नी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक स्विट्चिंग, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राय किया जाने वाला शुल्क, छात्रावली शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-योजना हेतु उपर्युक्त वतावरण उपलब्ध कराने को साथ-साथ संकलन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासिक/संचालित कार्यक्रम को सततता से हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं अनिलेख, भूमि-मापन, कर्मियों, प्रशासन इत्यादि का, यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थाएं संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने कथना शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(20 आर.सी.ओ. सिंह)
सचिव

पू.सं- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तार दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, लुमा इस्टीट्यूट ऑफ़ कॉमर्शियल मैनेजमेंट, गोंदरी, जयपुरगंज स्टेसन रोड, प्रतापगढ़।

(20 आर.सी.ओ. सिंह)
सचिव

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम जो बहाल होने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिचय को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामान-सम्बन्ध एड-वाइजनी(एटीआई/पी)सी।आई।टी/परिचय के मातानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुरोधनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार
सचिव)

सचिव

दिनांक:
09/08/2021

पुस्तक- ज्ञान/परिचय/सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिकृति

समाचार/निदेशक RUMA INSTITUTE OF PHARMACY, GOBRI JAGESHARGANJ STATION ROAD, PRATAPGARH-220602


(सुनील कुमार
सचिव)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मातृ पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4112-RUMA INSTITUTE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
5	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, सेनेटर विनियमावली-2015 तथा समय-समय पर निर्गत वासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों ईवी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वासनादेशों प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा माँदे सत्र 2022-23 हेतु फीस धा पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश वासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/विनियमों/वासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश वासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किये जाने वाले शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ रेगिड रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो तत्समाल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनव्यवस्था कार्यवाही की जायेगी।

(एकरंजित खान)

सचिव

प्रतिनिधि-

प्रशासक/निदेशक, RUMA INSTITUTE OF PHARMACY

सचिव

(एफ०आर० खान)

सचिव